

संविधान (अनुच्छेद) 143  
 प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे।  
संविधान कलम 143

एक ही प्रकार के अधिकारों को प्रदान करने के लिए संविधान में समानता का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं।

143

हिसा या काववादी मय इतिहासवत्त जव

नखर व तारीख  
 अहकम जा इंस हिस  
 की तामील जारी हिए।

21/05/2024 15:45:00